

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, राज. जयपुर)
क्रमांक एफ 2(उप निदेशक)/आजभूस/संस्था/ 5344-60 दिनांक:- 01/08/2018

आदेश


जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के अधिशाषी अभियन्ता, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, डीग जिला भरतपुर का मद जो कि 2402-00-196-(01)-[03] SF/Non Plan में स्वीकृत है, को प्रशिक्षण केन्द्र पिपलांत्री जिला राजसमन्द में तत्काल प्रभाव से हस्तान्तरित किया जाता है।


(अनुराग भारद्वाज)
आयुक्त

क्रमांक एफ 2(उप निदेशक)/आजभूस/संस्था/ 5344-60 दिनांक:- 01/08/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव (आयोजना), सचिवालय जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, जयपुर।
8. निजी सचिव, आयुक्त, कृषि विभाग, जयपुर।
9. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, जयपुर।
10. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, भरतपुर।
11. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन/आईडब्ल्यूएमपी), आयुक्तालय जयपुर।
12. वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय जयपुर को आई.एफ.एम.एस. में आवश्यक संशोधन सुनिश्चित कराने हेतु।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भरतपुर।
14. अधीक्षण अभियन्ता एवं पदेन परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, भरतपुर।
15. प्रभारी अधिकारी, प्रशिक्षण केन्द्र पिपलांत्री जिला राजसमन्द।
16. ए.सी.पी (उप निदेशक), आयुक्तालय जयपुर को विभागीय वेब साईट पर अपलोड हेतु।
17. संबंधित कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जिला भरतपुर।


(राजेन्द्र कुमार शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)